445

संख्या–97 /xxxii(1)/2016/01(दो)/147/निर्माण/प्लान/2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः– **विधान सभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल में स्थापित इलेक्ट्रीकल पैनल को शिफ्ट करने के लिए कक्ष का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, यमुना कालोनी देहरादून के पत्रांकः–93/सु0वि0गृ0ख0–2/ई–8 दिनांक 08–01–2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल में स्थापित इलेक्ट्रीकल पैनल को शिफ्ट करने के लिए कक्ष का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 5.33 लाख के आगणन का सिंचाई विभाग की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 5.33 लाख (**₹ पॉच लाख, तैतीस हजार** मात्र) की धनराशि के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–1338/xxxii(1)/01(एक)–01/प्र0अनु0/2015–16 दिनांक 27 नवम्बर 2015 एवं अलोटमेंट आई डी–H1511070823 दिनांक 20 नवम्बर 2015 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में सें **इतनी ही** धनराशि ₹ 5.33 लाख (**₹ पॉच लाख, तैतीस हजार** मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 5.33 लाख (**₹ पॉच लाख, तैतीस हजार** मात्र) का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) **आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार कें अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए विभागीय टी0ए0सी0 तथा विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होगे।**

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(7) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें।

(8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से प्राप्त कर ली जाये।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–2047/XXXIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008** में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxxii(1)/2008 दि0 15.12.2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग से किये गये कार्य का **संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक** कार्य किये जाने का **प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि **₹** 5.33 लाख **(₹ पॉच लाख, तैतीस हजार** मात्र) को अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, यमुना कालोनी देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक,मुख्य शाखा–देहरादून के **खाता संख्या–10901749576,आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या–SBIN 0000630**, में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पैन/टैन न0–05000855468, TDNसंख्या–06040200005, MRT संख्या–00266A है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–**आयोजनागत** –02 शहरी आवास–800–अन्य भवन–**03–राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण**–24–वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 207**P**/XXVII(5)/2016, दिनांक 28 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव।

संख्या-17 (1)/xxxii(1)/2016/01(दो)-147/निर्माण/प्लान/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3- मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(विभागाध्यक्ष), विभागीय तकनीकी परीक्षण (प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, देहरादून।
5- अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल-प्रथम,देहरादून।
6- अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड-2, यमुना कालोनी देहरादून।
7- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि **एन.आई.सी.** में अपलोड करायें।
8- वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
9- सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
10- निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।